**महत्वपूर्ण**

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/ 1712 भोपाल, दिनांक 03/10/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
5. समस्त प्रभारी, कोविड–19 अस्पताल, म.प्र।
6. अध्यक्ष, आई.एम.ए एवं आई.ए.पी, म.प्र।
7. अध्यक्ष, एम.पी.एन.एच.ए., म.प्र।

विषयः– कोविड–19 से प्रभावित बच्चों की नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस (NIMHANS) के विशेषज्ञों/मनोरोग चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क टेली–परामर्श के संबंध में।

संदर्भः– राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्र. 4501 / 24 / 2020 –21/ NCPCR/PSY-Tele-Coun दिनांक 22/09/2020

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 महामारी का प्रभाव समूचे समुदाय एवं सभी उम्र के व्यक्तियों पर हुआ है परन्तु बच्चों में इसका गहरा दुष्प्रभाव डर, चिन्ता, तनाव, अवसाद, व्यग्रता, नींद न आना, भूख न लगना के रूप में प्रतिवेदित हो रहा है। बाल मन पर कोविड–19 पॉजीटिव होना, आईसोलेशन एवं क्वारंटाईन केन्द्रों में भर्ती होना, कोविड–19 से माता–पिता की मृत्यु होना अथवा भाई–बहन व परिजनों का कोविड पॉजीटिव होना, अत्याधिक तनाव अथवा गहरे दुख का कारण हो सकती है।

अवगत हों किः–

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई–दिल्ली द्वारा इण्डिया को–विन एक्शन नेटवर्क (I-CAN) तथा नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस (NIMHANS) के विशेषज्ञों/मनोरोग चिकित्सकों के सहयोग से बच्चों के लिए निःशुल्क टेली–परामर्श सेवायें प्रारम्भ की गई हैं।
- कोविड–19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए यह निःशुल्क टेली–परामर्श सेवा टोल–फ्री नम्बर 1800 121 2830 पर प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से सायः 8 बजे तक उपलब्ध है।
- उक्त निःशुल्क टेली–परामर्श सेवा– **SAMVEDNA (Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance)** का लाभ बच्चों द्वारा लिया जा सकता है ताकि प्रशिक्षित परामर्शदाताओं/मनोरोग चिकित्सकों/विशेषज्ञों से चर्चा कर व्यग्रता एवं मानसिक तनाव को कम किया जा सके।
- उक्त सेवा का लाभ कोविड–19 संक्रमण से मृत चिकित्सकों, मैदानी स्वास्थ्य कर्ताओं/अन्य मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों के बच्चों द्वारा भी मनो–सामाजिक संबल हेतु प्राप्त किया जा सकता है।

निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कोविड–19 बच्चों के लिए प्रारम्भ की गई निःशुल्क टेली–परामर्श तत्वाधान की जानकारी समस्त समुदाय, कोविड–19 नियंत्रण, प्रबंधन एवं उपचार हेतु कार्यरत मैदानी अमलों तथा कोविड केयर सेन्टर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में भर्ती बच्चों तथा उनके परिजनों को तत्काल उपलब्ध कराई जाये।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / कोविड–19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1713 भोपाल, दिनांक 03 / 10 / 2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई–दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग / चि.शि. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
8. उप संचालक, मानसिक स्वास्थ्य, एन.एच.एम, म.प्र।
9. उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य, ए.एन.एम, म.प्र।
10. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश